

29.10.2024 प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर उपस्थित, गुरप्रीत सिंह की ओर अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रार्थी गुरप्रीत सिंह को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी गुरप्रीत सिंह का पक्षकार संयोजित करने में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र पर नो ओब्जेक्शन की टिप्पणी अकिंत करते हुए अपने हस्ताक्षर अकिंत किये।

अतः गुरप्रीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर गुरप्रीत सिंह को अप्रार्थी संख्या 12 पर पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते संशोधित शिर्षक, जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी एवं तलबी अप्रार्थी संख्या 4 हेतु दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।

